

नाम

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण; वर्ष 2011

Pushpa Chohan

Lecturer

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित

3. वर्तमान वेतन 15600-39100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें नियुक्ति किया हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि इस किसके नाम पर धारित है और उसका सासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिभूत किया गया ••• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिभूत की तारीख और जिससे अधिभूत हो गई हो उसका नाम तथा व्योरे	संपत्ति से आर्थिक आय	अधिभूतिका
	पूरा तथा अन्य मूल्य	भूति					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

जहां लागू न हो काट दी जाए।  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवस्था) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में रहते हुए मुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष सहित जो अवधि के परलभ्य यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का ठीक-ठीक बताने का अधिकार उसे विधान में मिले या उसके अपने नाम पर ही उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो किन्तु अन्य अधिकार के साथ यह नहीं हो सकेगा।  
 इत्यादि

हस्ताक्षर  
 नाम Pushpa Chohan  
 पद Lecturer

दिनांक: -